(148)

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 15/2010–11

म0 लियाकत मियाँ ........................................................................ आवेदक

बनाम

अलीम मियाँ ........................................................................................ विपक्षी

॥ आदेश ॥

08/03/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 15/2010–11 म0 लियाकत मियाँ एवं अन्य बनाम् अलीम मियाँ एवं अन्य, मौजा पड़रिया, अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के एस0आर0 वाद सं0 107/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2010 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा उसमें उपलब्ध अंचल अधिकारी, जरमुंडी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला मौजा पड़रिया के दाग सं0 11 परती कदीम में जमींन बन्दोबस्ती से संबंधित है। इस दाग संख्या की बन्दोबस्ती से संबंधित मामला माननीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में लंबित है। ऐसी स्थिति में इस वाद पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Sd/-
उपायुक्त
दुमका।

Sd/-
उपायुक्त
दुमका।